

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 277987 / पटना, दिनांक 13-07-16

संसाधन-गा0वि0-01/स्या0(प्रशि0)-43/2013

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी  
सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,  
बिहार ।

विषय: Bare Foot Technician (BFT) का चयन एवं प्रशिक्षण ।

प्रसंग :- भारत सरकार का पत्रांक-J-11011/11/2015-RE-I (344831) दिनांक-18.04.2016 एवं विभागीय पत्रांक-270119, पटना, दिनांक-28.04.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे ।

बिहार राज्य में तकनीकी पदाधिकारियों/कर्मचारियों की कमी को देखते हुये प्रत्येक प्रखंड से कामगार परिवारों से एक Bare Foot Technician (BFT) का चयन एवं प्रशिक्षण MoRD & PR के निर्धारित मापदंडों के आधार पर करना है । निर्धारित मापदंडों को MoRD के Web Site- [nrega.nic.in](http://nrega.nic.in) पर देखा जा सकता है । प्रखंडवार पिछले 2 वर्षों से सक्रिय कामगार की सूची NIC/MoRD से प्राप्त की गई है । इसमें वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किये गये कार्य दिवसों की संख्या अंकित है । इस सूची में से वर्ष 2015-16 में 100 और अधिक कार्य दिवस वाले कामगार को हटा दिया गया है एवं अधिकतम 99 (निम्नावे) कार्य दिवसों की संख्या वाले कामगार/मेट से शुरू करते घटते हुए क्रम में रखा गया है । इस सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिला वर्ग के कामगारों को दर्शाया गया है ।

सुलभ प्रसंग हेतु संक्षिप्त रूप में बीएफटी के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:-

(क) प्रखंडवार सूची में तीन कॉलम जोड़ ले, यथा शैक्षणिक योग्यता, BFT के रूप में काम करने के लिए इच्छुक हों/नहीं एवं जीविका अंतर्गत SHG के सदस्य हैं अथवा नहीं ।

(ख) उपरोक्त सूची में संबंधित कामगारों में जोड़े गये कॉलम संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर ली जायें ।

(ग) उपरोक्त में से जो दसवी पास नहीं है अथवा BFT के रूप में कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, उनका नाम इस सूची से हटा दिया जाये ।

(घ) तदोपरांत ज्ञात सूचियों में अधिकतम प्रथम 10-10 पुरुषों/महिलाओं की सूची बना दी जाये ।

(ङ) सूची में से वैसे व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगा जो जीविका SHG के सदस्य हैं तथा 10+2, गणित विषय के साथ की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं ।

(च) इन सूचियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कामगार/मेट को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायें ।

(छ) इन सूचियों से प्रत्येक प्रखंड से तीन महिलायें एवं तीन पुरुषों का चयन किया जायें (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये) ।

इस प्रकार अपने जिले के लिये प्रखंडवार चयनित छ: Bare Foot Technician (BFT) का चयन कर, नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि निचे दिये प्रारूप के अनुसार भेजने का कष्ट करें। (कृपया PDF के साथ सूची MS Word/Excel में भी ई-मेल-directors.for@gmail.com एवं ई-मेल-rddbih.tech@gmail.com पर भेजें)

जिले का नाम :-

क्र म सं ०	प्र खंड	पंचायत	नाम	लिंग (पुरुष / स्त्री)	क्या वे अनुसूचित जाति/ जन जाति से आते हैं	जॉब कार्ड संख्या	2015- 16 में कार्य दिवसों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	10+2 गणित के साथ हों/ना	SHG के सादस्य हों/ना	पता	मोबाईल नं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

आपसे प्राप्त सूची के अभ्यर्थियों की योग्यता परीक्षा (Screening Test) ली जायेगी एवं परीक्षा के परिणाम के आधार पर तैयार योग्यता सूची में से निर्धारित न्यूनतम मेधा पर अभ्यर्थियों का BFT प्रशिक्षण हेतु चयन किया जायेगा।

इन चयनित अभ्यर्थियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशिक्षण मोड्यूल का उपयोग करते हुये मनरेगा से संबंधित सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें कार्यों के निर्धारण और अनुमान, स्थल पर ले-आउट, कार्य के निष्पादन का पर्यवेक्षण और महात्मा गांधी नरेगा की माप-पुस्तिका में किए गए कार्य की माप का रिकार्ड रखने के लिए आवश्यक कौशल अर्जित करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों को 3 (तीन) महीना का प्रशिक्षण किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरांत इनकी योग्यता परीक्षा के द्वारा निर्धारित मापदंड के आलोक में परखी जायेगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पुरा कर लेने पर अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाण पत्र दिया जायेगा एवं ये भविष्य में BFT के रूप में कार्य हेतु अधिकृत होंगे। इन BFT तकनीशियन से कार्य लेने पर कुशल कामगार के रूप में भुगताऱ किया जायेगा।


उप विकास आयुक्त, पटना BFT के चयन मार्गदर्शिका के आलोक में प्रखंडवार तीन-तीन महिला एवं पुरुष BFT अभ्यर्थियों का चयन उनके पास उपलब्ध ई-शक्ति सूची के माध्यम से करेंगे।

अतः निदेश दिया जाता है कि ऊपर दिये प्रारूप के अनुसार विभाग को BFT की सूची दिनांक-31.07.2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

कृपया इसे प्राथमिकता दे।

अनु० :- यथोक्त।


विश्वासभाजन

  
(अरविन्द कुमार चौधरी)  
सचिव

पत्रांक 277987 / पटना, दिनांक 13-07-16

सं०सा०-सा०वि०-०१/स्था०(प्रशि०)-४३/२०१३

प्रतिलिपि:- निदेशक (सा०वा०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव 13/7/2016